ई–मेलः cfaligarh@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1, दिनांकःअलीगढ़ःजूनः 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **अलीगढ–रामघाट रोड (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम–हरदुआगंज के खसरा सं0–176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।**

संदर्भ– आपका पत्रांक 2734 / अलीगढ़ / 14131 / 2015 / यू0पी0–156, दिनांक 02.06.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ ने अपने कार्यालय पत्रांक 2498 / 14–10, दिनांक 07.03.2017 द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है। अतः आपत्तियों पर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है :–

S. no.	Observation	Reply
1	ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(9) में गैर वनभूमि का क्षेत्रफल शून्य अंकित किया गया है, जो सम्भव नहीं है।	ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(9) में गैर वनभूमि का क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
2	ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(10) में लीज की अवधि 99 वर्ष अंकित की गयी है, इस अवधि को 30 वर्ष अंकित करें।	ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(10) में लीज की अवधि 30 वर्ष अंकित अंकित कर दिया गया है।
3	ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ई–3 की सूचना त्रुटिपूर्ण है, सुसंगत सूचना अंकित करें।	ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ई–3 पर त्रुटिरहित सूचना अंकित कर दी गयी है।
4	मानक शर्तो के प्रमाण–पत्र में 18 के स्थान पर 16 बिन्दु ही अंकित है, सुसंगत प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	मानक शर्तो के प्रमाण पत्र में 18 बिन्दु अंकित कर दिये गये है। संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण है, ईको क्लास एवं दर दोनों गलत है। अतः ऑनलाइन पार्ट–2 में ईको क्लास संशोधित करें, एन0पी0वी0 की संशोधित गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	ईको क्लास के आधार पर एन0पी0वी0 की गणना की गयी है। संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	क्षतिपूरक वनीकरण की योजना वन ब्लाक में ट्रीगार्ड में प्रस्तावित है, जो स्वीकार्य नहीं है। संशोधित वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	निर्देशानुसार क्षतिपूरक वनीकरण की योजना में संशोधन कर संशोधित वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7	प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल चिन्हित टोपोशीट में टाइटिल शीर्षक अंकित नहीं है। अंकित करायें।	प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल चिन्हित टोपोशीट में टाइटिल शीर्षक अंकित कर दिया गया है।

अतः संशोधित प्रस्ताव मूल में 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1, समदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को पत्रांक 2498 / 14–10, दिनांक 07.03.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

C.F. Office/Draftman/Land Transfer/com-ii